(5)

।। श्री ।।

निगरानी प्रकरण क्रमांक ..../2018
प्रस्तुति दिनांक : ..../02/2018

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
PBR/निगरानी/बड़वानी/भू.रा/2018/1322 के न्यायालय में

वेहू पिता श्री रावजी मृतक तर्फे वारिस
बापू पिता श्री वेहू कुम्हार
निवासी–सेंधवा (म.प्र.) ....प्रार्थी

विरुद्ध

1. कुरबान पिता मालसिंह बोरला
निवासी–दावलबेडी, सेंधवा (म.प्र.)

2. नाथिया पिता चमारिया बारेला
निवासी–नहालबंद तहसील सेंधवा (म.प्र.)

3. पहाडसिंह पिता श्री हादू बारेला
निवासी–नहालबंद तहसील सेंधवा (म.प्र.)

4. ढेडा पिता श्री रुस्तम बारेला मृतक तर्फे वारिस
(अ) अमर सिंह पिता श्री ढेडा बारेला
(ब) गुरमान पिता श्री ढेडा बारेला
(स) फिरंजा पिता श्री ढेडा बारेला
(द) केरांग्या पिता श्री ढेडा बारेला

5. फुलसिंह पिता श्री जयराम बारेला मृतक तर्फे वारिस
(अ) हरदास पिता श्री फुलसिंह बारेला
(ब) पीडिया पिता श्री फुलसिंह बारेला
(स) शाहादिया पिता श्री फुलसिंह बारेला
(द) गुरुदास पिता श्री फुलसिंह बारेला
क्र. 5 (अ) से (द) सभी निवासी–नहालबंद
तहसील सेंधवा (म.प्र.)

6. पीरचंद पिता श्री मालसिंह बारेला
निवासी–नहालबंद तहसील सेंधवा (म.प्र.)

7. राजमल पिता श्री रुस्तम बारेला
निवासी–नहालबंद तहसील सेंधवा (म.प्र.)

8. कुटवाल पिता श्री लालसिंह बारेला
निवासी–नहालबंद तहसील सेंधवा (म.प्र.)

9. ज्ञानसिंह पिता श्री रुस्तम बारेला
निवासी–नहालबंद तहसील सेंधवा (म.प्र.)

10. हरि पिता श्री हादू बारेला
निवासी–नहालबंद तहसील सेंधवा (म.प्र.)

11. नरसिंह (नरि) पिता श्री हादू
निवासी–नहालबंद तहसील सेंधवा (म.प्र.)

अविरत...........2

12. प्रेमसिंह पिता श्री मारहया
13. रायसिंह पिता श्री हादू
दोनो निवासी–नहालबंद तहसील सेंधवा (म.प्र.).......प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय, बडवानी जिला बडवानी (म.प्र.) के द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 4–अ/23/अपील/2013–14 में दिनांक 07/12/2017 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है।

यह कि, अपर कलेक्टर महोदय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये दिनांक 14/12/2012 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 20/12/2017 को प्रार्थी को प्राप्त हुई है। इस प्रकार नकल प्राप्ति के 7 दिवस मुजरा देते यह निगरानी नियत 60 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत है।

!! प्रकरण के तथ्य !!

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कस्बा सेंधवा की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 299 रकबा 40.43 एकड, सर्वे नम्बर 291/355 रकबा 7.12 एकड कुल रकबा 47.55 एकड प्रतिप्रार्थीगणों के नाम से राजस्व अभिलेखों में वर्ष 1959–60 के पूर्व अंकित थी। उकत भूमि को विक्रय करने के लिये प्रतिप्रार्थीगणों के द्वारा कलेक्टर जिला बडवानी के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर तत्कालीन कलेक्टर महोदय के द्वारा उपरोक्त भूमियों का विक्रय रूपये 9,000/– में प्रार्थी के पिता वेडू पिता श्री रामाजी कुम्हार को किये जाने की अनुमति प्रकरण क्रमांक 72/अ–21/63–64 आदेश दिनांक 29/09/1964 के द्वारा प्रदत्त की। उक्त अनुमति के आधार पर प्रार्थी के पिता के हक में प्रतिप्रार्थीगणों के द्वारा दिनांक 11/12/1964 को उप पंजीयक कार्यालय में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वर्ष 1964 से निरंतर प्रार्थी उसके पिता के समय से उक्त भूमि पर काबिज होकर उसका नाम भी राजस्व अभिलेखों में अंकित होता चला आ रहा है।

अविरत...........3

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बडवानी/भू.रा/18/1322

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-03-19	आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त न्यायालय को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 27-5-2019 को आयुक्त के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	